

॥ ३/२६

पार्थी के अधिवक्ता अनु० अप्रार्थी सं० २ के
अधिवक्ता उप० अधिवक्ता पार्थी को रेसपो.
२ के कायम मुकाम की सूची एवं संशोधित
शीर्षक पेश करने बाबत पूर्व में पर्याप्त
अवसर दिए जाने के बावजूद पेश
नहीं की गई। लिहाजा पार्थी को यह
निगरानी अदम्य परवी में खारिज की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर
नंबर से का हो एवं दाखिल दस्तार
हो।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)